भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2641 का उत्तर

छत्तीसगढ़ में हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन का निर्माण

2641. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन की चौथी लाइन का निर्माण कार्य आवंटित कर दिया गया है और यदि हां, तो निर्माण कार्य के प्रारंभ होने का समय, एजेंसी और स्थानातरण ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) आज की तिथि तक किए गए कार्य का प्रतिशत तथा शेष कार्य के पूरा होने की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ में लंबित रेल परियोजनाओं जैसे नई रेलवे लाइनों का निर्माण, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण या आधुनिकीकरण की परियोजना-वार स्थिति क्या है; और

(घ) क्या छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और खनिज परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए नई रेलवे लाइन या विशेष माल ढुलाई गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा करने की योजना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक

SK

आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फारवर्ड और धनराशि की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 37,018 करोड रूपये की लागत से कुल 2,731 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली 25 परियोजनाएं (08 नई लाइनें और 17 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 882 किलोमीटर लंबाई कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 14,919 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	8	1358	184	6154
दोहरी लाइन/मल्टीट्रैकिंग	17	1373	698	8765
कुल	25	2731	882	14919

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य में हावड़ा-मुंबई मार्ग पर 649 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें से 446 किलोमीटर पहले ही कमीशन कर दी गई है। इस व्यस्त मार्ग पर 105 किलोमीटर की चौथी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशत: रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-2014	₹311 करोड़/वर्ष
2024-2025	₹6922 करोड़ (22 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले रेल पथों को कमीशन करने/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

SK

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	औसतन कमीशन किए गए नये रेलपथ
2009-14	32 कि.मी.	6.4 कि.मी./वर्ष
2014-24	999 कि.मी.	99.9 कि.मी./वर्ष (15 गुना से अधिक)

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, उल्लंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं हेतु निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी और वन्यजीव मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रुप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****

SK